

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1134
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

अजा/अजजा/अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

†1134. कुमारी सुधा आर.:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई योजना/परियोजना/पहल है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं/परियोजनाओं/पहलों के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संदर्भ में आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के बीच इन छात्रवृत्ति योजनाओं/परियोजनाओं/पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

- (क) से (ङ): सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मानदंडों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	विवरण https://socialjustice.gov.in/scheme-cat पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
2.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	विवरण https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx पर उपलब्ध है।
3.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	विवरण https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823 पर उपलब्ध है।
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	विवरण https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-0 पर उपलब्ध है।
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विवरण https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner पर उपलब्ध है।
6.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	विवरण https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes पर उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या एवं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों हेतु जिलावार संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखी जा सकती है। विगत 5 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) से प्राप्त राज्यवार विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है। छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए यह विभाग सभी राज्यों के शिक्षा विभागों और उच्चतर माध्यमिक बोर्डों सहित हितधारकों के बीच प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्रसारित करता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों हेतु विशेष रूप से निर्धारित स्थान पर उनके लिए उपयोगी जानकारी भी प्रदान की जाती है।
